

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक/वाहन/निविदा/2021-22/ 315-A

दिनांक 29/01/2021

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा – विज्ञप्ति 2021-22

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के परीक्षा/गोपनीय/केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रति किलो मीटर हेतु वाहन किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1,000/- तथा सुरक्षा निधि रु. 60,000/- है।

निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	विवरण	दिनांक
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभिक तिथि	02-02-2021
2	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	24-02-2021
3	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24-02-2021

निविदा पत्र का सत्यापन दिनांक 02.03.2021 को मुद्रणालय प्रभारी के कार्यालय में अपरान्ह: 3:10 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित समिति के द्वारा किया जावेगा।

निविदा संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर भी उपलब्ध है। निविदा के संबंध में दूरभाष क्रमांक 0731-2525825, 0731-2528966 एवं e-mail ID: registrar.davv@mp.gov.in भी संपर्क किया जा सकता है।

नोट:- निविदा में किसी भी प्रकार संशोधन समाचार के माध्यम से नहीं किया जावेगा। यह केवल www.mptenders.gov.in एवं वि.वि. की वेबसाईट www.dauniv.ac.in पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कुलसचिव

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

वर्ष 2021-22 के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर प्रति किलो मीटर के लिए किराये के वाहन संबंधी निर्देश एवं शर्तें

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वर्ष 2021-22 के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार वाहन, प्रति किलो मीटर के लिए किराए पर लिए जाने हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में 1000/- (एक हजार रू. मात्र) एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में 60,000/- (साठ हजार रू. मात्र) आनलाईन जमा करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के अंतर्गत निविदाकर्ता निम्नांकित दस्तावेजों/अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों की स्केन्ड कॉपी अपलोड करें :-
 - (i) निविदाकर्ता प्रपत्र क्रमांक 1 में वर्णित संस्थान का विवरण स्पष्ट अक्षरों में भरकर अपलोड करें।
 - (ii) निविदाकर्ता अपना स्थायी खाता क्रमांक (PAN), GSTIN Registration की सत्यापित छायाप्रति।
 - (iii) निविदाकर्ता का आयकर विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है। विगत 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति।
 - (iv) संस्था का प्रतिवर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 20.00 लाख रू. होना आवश्यक है। इस हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तैयार की गई गत तीन वर्ष की ऑडिट की हुई सम्पूर्ण रिपोर्ट की प्रति अपलोड करें।
 - (v) निविदाकर्ता फर्म के पास कम से कम 5 वाहन पंजीकृत होना चाहिए। इस आशय का विवरण संलग्न प्रपत्र क्रमांक 02 में स्पष्ट अक्षरों में भरकर अपलोड करें।
3. अनिवार्य शर्तों के बिन्दु क्रमांक 02 के (i) से (V) तक उल्लेखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां ऑन लाईन प्रस्तुत करें। जो कागजात ऑन लाईन प्रस्तुत नहीं किए जा सकते उक्त कागजात एक अन्य सीलबंद लिफाफे में रखकर जिसके ऊपर " किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदा" स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो "कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर-452001" के पते पर निर्धारित तिथि तक केवल स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में पहुंचाना सुनिश्चित करें। डाक के गुम होने/विलंब होने/कटने-फटने पर विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

फर्म का विवरण

1. फर्म का नाम.....

2. पूर्ण पता.....

3. टेलीफोन नं./मो.नं कार्यालय.....निवास स्थान.....

फैक्स.....ईमेल.....

4. जी.एस.टी.आई.एन.नं पंजीयन क्रमांक.....

5. संस्था के अधिकृत का विवरण

नाम.....

पद.....

पता.....

टेलीफोन नं./मो.नं कार्यालय.....निवास स्थान.....

फैक्स.....ईमेल.....

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर एवं सील

निविदा कर्ता फर्म की 05 पंजीकृत वाहनो की जानकारी

फर्म का पूरा नाम एवं पता

क्र.	गाड़ी का नाम	वाहन का पंजीयन नंबर	पंजीयन जारीकर्ता
1			
2			
3			
4			
5			

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर एवं सील

प्रति किलो मीटर के लिए किराए पर वाहन हेतु निविदा की अन्य शर्तें

1. वाहन मॉडल 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए व अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए।
2. वाहनों का नियमित रूप से मेन्टेनेन्स किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मेन्टेनेन्स, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।
3. सेवा प्रदाय करने वाला अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वाहन चालक उचित व्यवहार करें तथा मदिरापान, धूम्रपान एवं गुटखा, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें।
4. वाहन चालक टैक्सी वाहन चलाने का लायसेन्स धारी होना चाहिए तथा उसका आचरण शालीन होना चाहिए। उसके विरुद्ध किसी भी थाने (पुलिस) पर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये। इस आशय का शपथपत्र निविदाकर्ता को देना होगा तथा टैक्सी वाहन प्रदायकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। इस आशय का लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा।
5. अ. किराये पर प्राप्त किए जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होगा एवं वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी का होगा।
ब. वाहन का चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा।
6. वाहनों की संख्या तथा किराये पर लेने की अवधि आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है। जिसकी सूचना कम से कम 15 दिवस पूर्व में दी जायेगी। आगामी वर्ष के लिये निविदा प्रक्रिया संपन्न नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पुरानी शर्तों पर निविदा अधिकतम तीन वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी। (एक/एक वर्ष हेतु)
7. वाहन की टूट-फुट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर निविदाकर्ता द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्तें उन्हें मान्य हैं।
9. वाहन चालक की ड्रेस सफेद या नीले कलर की होगी। ड्रेस संबंधित एजेन्सी द्वारा प्रदाय की जावेगी।
10. निविदा को मान्य/अमान्य स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा निर्धारित समय एवं तिथि उपस्थित निविदाकर्ताओं को अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। सर्व तकनीकी निविदाएं खोली जावेगी। तकनीकी निविदाओं में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय बीड खोली जावेगी।
11. सफल निविदाकार को वाहन तीन दिवस में उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित एजेन्सी द्वारा कुलसचिव/वाहन प्रभारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को 10 दिवस में देना होगा।
12. प्रति कि.मी. के लिए वाहन किराए हेतु लेने पर वाहन का न्यूनतम किराया वित्तीय प्रपत्र में दर्शाया जावे। वाहनों की संख्या एवं अवधि आवश्यकतानुसार तथा प्राप्त स्वीकृत के अधीन होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद/स्पष्टीकरण पर कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का निर्णय अन्तिम व बंधनकारी रहेगा।

14. संस्था के पास किसी शासकीय कार्यालय/अर्धशासकीय कार्यालय (निगम/मण्डल)में कम से कम तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
15. संस्था के देय मासिक भुगतान पर भुगतान योग्य आयकर का स्रोत पर कटौती किया जावेगा। सेवाकर का भुगतान संस्था द्वारा नियमानुसार जमा किया जावेगा एवं उसकी पावती कार्यालय में जमा करायी जाना होगी।

कुलसचिव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

वाहन किराये पर लेने हेतु वर्ष 2020-21

निविदा क्रमांक - 2

निविदा आवेदन फार्म (प्रति किलो मीटर के आधार पर दरें)

संस्था का नाम	
संस्था का सेवा कर जी.एस.टी./पंजीयन क्रमांक	
संस्था/मुखिया का पेन नम्बर	
संस्था का स्थायी पता	
मोबाईल एवं दूरभाष नम्बर	

क्र.	वाहन का नाम	मॉडल का वर्ष	प्रति किलो मीटर किराये की दर (समस्त करों सहित)	
			A.C.	Non A.C.
1	टाटा जेस्ट	2019 Onwards		
2	टाटा इन्डिगो	2019 Onwards		
3	टवेरा	2019 Onwards		
4	इनोवा	2019 Onwards		
5	स्वीफ्ट डिजायर	2019 Onwards		
6	मारुति अर्टिका	2019 Onwards		
7	तुफान (टेम्पो)	2019 Onwards		
8	टेम्पो ट्रेवलर	2019 Onwards		
9	इनोवा क्रिस्टा	2019 Onwards		

नोट :- 5 घण्टे के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु (पिकअप/ड्राप) न्यूनतम 50 किलो मीटर अथवा वास्तविक एवं सम्पूर्ण दिवस हेतु न्यूनतम 250 किलो मीटर की दर भुगतान मान्य होगा।

फर्म/प्रोपरायटर का नाम, हस्ताक्षर व सील

